न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – हिम्मत सिंह बारहठ, RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 16/2018

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर हॉल खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा (राज.)

बनाम

1. श्री राजेश कुमार पिता शान्तिलाल जैन, मालिक विक्रेता मैसर्स राजेश एण्ड सुजीत कुमार किराणा स्टोर, मेन बाजार, छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा।
2. श्री भगवान सोमनानी पुत्र श्री धनिकराम सोमनानी, मालिक मैसर्स आर. एस. सेल्स ऐजेंसी, 34 सुभाष मार्ग, धानमण्डी, रतलाम (म.प्र.) स्थाई पता– 19, बाबू आशाराम नगर, बरियाखेड़ी, रतलाम पब्लिक स्कूल के पास, रतलाम (म.प्र.)।
3. मैसर्स आर. एस. सेल्स एजेंसी, 34 सुभाष मार्ग, धानमण्डी, रतलाम (म.प्र.)।
4. श्री ओम प्रकाश अग्रवाल पिता श्री पुरूषोत्तम अग्रवाल मालिक मैसर्स राम एण्टरप्राईजेज, 168, हाट रोड़ रतलाम (म.प्र.) स्थाई पता–168/04 हाट रोड़, रतलाम (म.प्र.)।
5. मैसर्स राम एण्टरप्राईजेज, 168, हाट रोड़ रतलाम (म.प्र.) स्थाई पता–168/04 हाट रोड़, रतलाम (म.प्र.)।
6. श्री मुकेश कुमार बड़ोलिया, सहायक प्रबन्धक, (Quality Control) नोमिनी एवं इन्चार्ज, M/S Premier Nutiritions, Indore-2015-17, Prop : Girdhari lal Sugar & Allied Ind. Ltd. (Unit-II) Works : 55-A/56 Industrial Area, A.B. Road, Dewas (M.P.) 455001 M/S Premier Nutiritions, Indore-2015-17, Prop : Girdhari lal Sugar & Allied Ind. Ltd. (Unit-II) Works : 55-A/56 Industrial Area, A.B. Road, Dewas (M.P.) 455001

उपस्थित :–
श्री राजेश कुमार जैन

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व दण्डनीय धारा 52 व 58

निर्णय

दिनांक 15–11–2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के द्वारा दिनांक 01–10–2018 को यह इस्तगासा इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 06–10–2017 को अप. 01.00 बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु श्री राजेश कुमार पिता शान्तिलाल जैन, मालिक विक्रेता मैसर्स राजेश एण्ड सुजीत कुमार किराणा स्टोर, मेन बाजार, छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा पर पहुंचा, निरीक्षण करने पर पाया कि उपरोक्त विक्रेता की दुकान पर श्री राजेश कुमार जैन उपस्थित थे, जिन्हें खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति / रजिस्ट्रेशन वर्ष 2017

का दिखाने को कहा, जिस पर विक्रेता प्रस्तुत नहीं किया। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान पर तेल, देशी घी (प्रीमीयर मंथन), मसाले, गुड़ व अन्य किराणा सामान विक्रय हेतु रखे पाये गये। यहां पर देसी घी (प्रीमीयर मंथन) के 1 लीटर के 13 डब्बे मूल ही कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में रखे हुए पाये गये। इसमें मिसब्राण्ड, सबस्टैण्डर्ड एवं अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं. 5ए पर उक्त देसी घी (प्रीमीयर मंथन) का नमूना वास्ते जांच हेतु एफएसएसए, 2006 के अन्तर्गत ले रहा हूं, और इनमें से देसी घी (प्रीमीयर मंथन) 1 लीटर के 4 डिब्बे मूल ही कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में वास्ते जांच हेतु खरीदने की सूचना देते हुए इनकी किमत 1960/–रू. विक्रेता को नकद चुका कर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता ने मौके पर उक्त माल खरीद के संबंध में मैसर्स आर. एस. सेल्स एजेंसी, 34 सुभाष मार्ग, धानमण्डी, रतलाम (म.प्र.) द्वारा जारी इन्वाईस नं. 189 दिनांक 15–09–2017 प्रस्तुत किया। इन चारों मूल डिब्बों पर लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) के कोड व सीरियल नं. A F – 990 नमूना लेने वाले का नाम, नमूना लेने की दिनांक व स्थान इत्यादि सम्पूर्ण विवरण अंकित कर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर कर चिपकाया। उक्त प्रत्येक नमूना डिब्बे को मोटे व मजबूत कागज में लपेट कर, कागज के दोनों सीरों को सफाई से मोड़ कर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना डिब्बे पर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर की हस्ताक्षरयुक्त पेपल स्लिप संख्या A F – 990 प्रत्येक नमूना डिब्बे के पेंदे से शीर्ष तक गोलाई में गौंद से चिपकाकर मोटे व मजबूत धागे से बांध कर, चार जगह चपड़ी सें एक सील प्रत्येक नमूना डिब्बे के मुंह पर एक सील प्रत्येक नमूना डिब्बे के पैंदे पर तथा दो सील प्रत्येक नमूना डिब्बे की बॉडी पर जहां धागे से गांठ लगाई थी, लगा कर नियमानुसार सील बन्द किया। चारों सीलबन्द नमूना डिब्बों पर विक्रेता के व गवाहान के हस्ताक्षर करवाए। प्रत्येक सीलबन्द नमूना डिब्बे पर नमूना नम्बर, दिनांक, स्थान, खाद्य सामग्री का नाम अंकित कर खाद्य निरीक्षक ने हस्ताक्षर किए।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) को जांच हेतु प्रस्तुत की गई, जहां से पत्रांक जोन/एफएसएसए/2017/2040 दिनांक 24–11–2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि नमूना जांच हेतु क्रय किया गया देसी घी (प्रीमीयर मंथन) के लेबल पर VI0LATION OF REGULATION 2.2.2(10) of the Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है जिस पर उक्त अधिनियम की 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने से दण्डित अपराध है। साथ ही विक्रेता ने मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय सम्बंधी किसी प्रकार का लाईसेंस /रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया तथा दौराने अनुसंधान पाया गया कि

न्याय निर्णयन अधिकारी

विक्रेता का टर्न ऑवर 12.00 लाख से कम है अतः उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

इस्तगासा दिनांक 08–10–2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 15–11–2018 को आरोपी क्रमांक 1 उपस्थित हुए एवं उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि वह एक छोटा व्यापारी है, तथा उसका यह प्रथम अपराध है। उसके प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर प्रकरण फैसल किया जावे, एवं न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। सुनवाई के दौरान आरोपी ने प्रथम अपराध होना बताते हुए दण्ड के विषय पर नरमी का रूख अपनाने निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 24–11–2017 के अनुसार विक्रेता से नमूना जांच हेतु क्रय किया गया देसी घी (प्रीमीयर मंथन) के लेबल पर VI0LATION OF REGULATION 2.2.2(10) of the Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है जिस पर उक्त अधिनियम की 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने से दण्डनीय अपराध है। इसके साथ ही विक्रेता ने मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय सम्बंधी किसी प्रकार का लाईसेंस /रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया तथा दौराने अनुसंधान पाया गया कि विक्रेता का टर्न ऑवर 12.00 लाख से कम है अतः उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्डेड देसी घी (प्रीमीयर मंथन) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। चूंकि उक्त विक्रेता के पास मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु किसी प्रकार का लाईसेन्स रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया,

दुकानदार छोटा विक्रेता है तथा मौके पर विक्रेता ने बताया कि मेरा वार्षिक बिक्री टर्न ओवर 12.00 लाख रू. से कम है अतः उक्त विक्रेता को अधिनियम की धारा 31(2) के तहत खाद्य पदार्थ विक्रय रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है जो विक्रेता के पास नहीं है अतः विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की 26(2)(V) का उल्लंघन होने पर उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर रूपये 15,000/– (अक्षरे रू. पन्द्रह हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में जुर्माना राशि रूपया 15,000/– (अक्षरे रू. पन्द्रह हजार मात्र) तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 15–11–2018 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह बारहठ)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
0बांसवाड़ा